न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–808/12 (आरसीएमएस नं. 2012/0(158)

1. बालूराम पुत्र स्व. हरनाथ, जाति जाट, निवासी मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. सूरजकरण,
3. रामेश्वर पुत्रान स्व. धन्ना, जाति जाट, निवासी मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामकरण (फौत)
   1/1. सुरज्ञान पत्नी स्व. रामकरण, जाति जाट, निवासी मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
   1/2. बलवीर,
   1/3. रमेश पुत्रान रामकरण जाति जाट, निवासी मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. श्योकरण, पुत्र हरिनारायण, जाति जाट,
3. अर्जुन,
4. सत्यनारायण पुत्रान स्व. नाथू, जाति जाट, निवासी मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.4.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर के आदेश दिनांक 1.12.2012 (प्रकरण संख्या 13/12) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त अपील में मृतक भूलीदेवी की वसीयत दिनांक 24.07.2004 के आधार पर तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर ने रेस्पोडेन्ट के नाम नामान्तरकरण खोलने का आदेश दिनांक 10.12.2012 को पारित किया गया है, जिसकी अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन है। उन्होने यह भी कथन किया है कि उक्त वसीयत दिनांक 24.07.2004 को निरस्त किये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद/टी.आई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांभरलेक के यहाँ इन्ही पक्षकारान के बीच विचाराधीन है तथा उक्त वाद में टी.आई में रेस्पोडेन्ट को अगाामी आदेश तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, वह आज कि राजस्व रिकार्ड की

अधिवक्ता अपीलान्ट ने आगे कथन किया है कि उक्त वसीयत दिनांक 24.07.2004 को निरस्त करने का नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त वसीयत के सम्बन्ध में हक, हकूक एवं अधिकार तो उक्त नियमित वाद में ही पक्षकारान के तय होंगे, उक्त नामान्तरकरण की समरी प्रक्रिया में पक्षकारान के अधिकारों का निर्धारण नही होगा, ऐसी स्थिति में उक्त वसीयत निरस्तीकरण वाद तक उक्त वसीयत के आधार पर जो नामान्तरकरण की समरी प्रक्रिया है उसे मूल वाद के निर्णय तक उक्त अपील की कार्यवाही स्थगित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नियमित वाद संख्या 13/13 निरस्तीकरण वसीयत दिनांक 24.07.2004 व स्थायी निषेधाज्ञा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांभरलेक उनवानी शिवजीराम व अन्य बनाम सूरजकरण व अन्य के निर्णय तक उक्त नामान्तरकरण की अपील की कार्यवाही स्थिगित की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपने वसीयत को विवादित बताय गया है जो कतई गलत है, वसीयत का कोई विवाद नही है, वसीयत दिनांक 24.07.2004 आज तक अखण्डनीय रही है। तथा उप पंजीयक मौजमाबाद द्वारा नियमानुसार वसीयत का पंजीयन किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी ने जो दीवानी वाद पत्र न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांभरलेक के यहॉ प्रस्तुत किया है उस वाद पत्र से जो कि इस अपील की प्रस्तुती के बाद प्रस्तुत किया गया है इसलिये उक्त वाद इस प्रकरण पर कोई विपरित प्रभाव नही डालता है, जहॉ तक दीवानी न्यायालय के द्वारा अस्थायी निषेधज्ञा के प्रार्थना पत्र पर आगामी आदेश तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं बेचान नही करने के सम्बन्ध में जो आदेश पारित किया गया है और वह आदेश प्रभावी होना बताया है तो दीवानी न्यायालय के आदेश के अनुसार अब उक्त राजस्व अपील की कोई आवश्यकता शेष नही बची है क्योंकि राजस्व रिकार्ड वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के नाम से अर्थात वसीतय के आधार रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया है और राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में व दीवानी न्यायालय से आदेश पारित होने के बाद अपीलार्थी की अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में जिस प्रकार के तथ्य वर्णित किये गये है, कतई गलत है, धारा 10 सी.पी.सी. में प्रावधान स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पश्चात्वर्ति कार्यवाही ही स्थिगित हो सकती है और दीवानी न्यायालय में वाद पत्र अपीलार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया है इसलिये और अपील उससे पूर्व ही वर्ष 2012 में प्रस्तुत कर दी गई थी, इसलिये धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार उक्त अपील किसी प्रकार से स्थगित किये जाने योग्य नही है,

तो अब ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की अपील की कोई आवश्यकता शेष नही बची है, अपीलार्थी इस बात को भंली भांति प्रकार से जानता है कि दीवानी न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये जाने के पश्चात् अब उक्त अपील की कोई आवश्यकता शेष नही बची है, अपीलार्थी अपील को मात्र लम्बित रखना चाहता है इसी दुर्भावनावंश यह प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया जबकि प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में दीवानी प्रक्रिया संहिता में धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लेखित है जिन तथ्यों को छिपाते हुये अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जो अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है वह अपीलार्थीगण की बदनियति को घोतक है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया समरी प्रक्रिया है परन्तू मूल वाद के निर्णय तक अपील की कार्यवाही को स्थगित किया जाना संभव नही है, ना ही आवश्यक है क्योंकि जब दीवानी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और वसीयत को निरस्त किये जाने के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है तो ऐसी स्थिति में दीवानी न्यायालय का ही निर्णय अंतिम होगा, इसलिये ऐसी स्थिति में अब नामान्तरकरण अपील जो कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन है कि अब कोई आवश्कता शेष नही बची है, उक्त अपील इनफेचूव्स हो गई है जिसे अपीलार्थी जानता है इसलिये मात्र अपील को जिन्दा रखने के उद्देश्य से यह गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी खारिज फरमाया जावें तथा दीवानी न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संभरलेक जिला जयपुर के द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया इसलिये अब न्यायालय श्रीमान् के समक्ष नामान्तरकरण की अपील की कोई आवश्यकता शेष नही रही गई है, दीवानी न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा इसलिये अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम तो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2012 अपीलान्ट को बिना सुने ही एकतरफा में पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2012 में कई जगह कॉट–छॉट की गई है द्वितीय वादग्रस्त आराजी के खातेदार द्वारा की गई वसीयत वर्तमान में सक्षम न्यायालय में चनौतिग्रस्त होकर प्रकरण विचाराधीन है जिसमें वसीयत के तथ्यों को निर्धारण होना अभी बाकी है ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मौजमाबाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निणर्य पारित करें।

(के0वी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।